



बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2012–2013

विषय सूची

क्र०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय 1 – परिचय	01
2.	अध्याय 2 – महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	02
3.	अध्याय 3 – विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय एवं महत्वपूर्ण संस्थान	03
4.	अध्याय 4 – वर्ष 2012–13 की उपलब्धियाँ	06
5.	अध्याय 5 – मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग संबंधी वित्तीय माँग	10
6.	अध्याय 6 – राज्यपाल सचिवालय संबंधी वित्तीय माँग	11
7.	परिशिष्ट	12

अध्याय – 1

परिचय

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। मंत्रिपरिषद् की बैठक आयोजित करने के अतिरिक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है। राज्य सरकार में विभिन्न स्तरों पर कार्यों के निष्पादन से संबंधित कार्यपालिका नियमावली के गठन का कार्य इस विभाग का दायित्व है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से नयाचार से संबंधित कार्यों के सम्पादन की जिम्मेवारी भी इस विभाग को आवंटित है।

कार्यपालिका नियमावली 1979 (यथा अद्यतन संशोधित) के अनुसार इस विभाग को आवंटित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

अध्याय – 2

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक–21.05.2012 को अभिलेख भवन के सभागार कक्ष में बिहार सृजन से शताब्दी वर्ष, बिहार गौरव, बिहार विभूति, बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका एवं उर्दू साहित्य के विकास में बिहार विभूतियों का योगदान नामक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया।
- माननीय उपमुख्य मंत्री द्वारा दिनांक–09.10.2012 को बिहार केसरी डा० श्री कृष्ण सिंह की 125वीं जयंति के अवसर में बिहार विधान परिषद के सभागार कक्ष में बिहार राज्य अभिलेखागार के सौजन्य से डा० श्री कृष्ण सिंह से संबंधित अभिलेखों एवं चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।
- मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिनांक–31.01.2012 को आधुनिक बिहार के सृजन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर “आधुनिक बिहार के सृजन के इतिहास एवं राष्ट्र निर्माण में बिहार की भूमिका विषय पर एकदिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया।
- राजभाषा निदेशालय के द्वारा त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका “राजभाषा” एवं उर्दू निदेशालय द्वारा उर्दू पत्रिका ‘संगम’ का नियमित प्रकाशन किया गया।

विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय एवं महत्वपूर्ण संस्थान

3.1 बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय

ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की विभिन्न बैठकों की अनुशंसाओं के आलोक में वर्ष 1954 में पटना में केन्द्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई। 1956 में इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार के समरूप निदेशालय के रूप में गठित किया गया। राज्य स्तर पर अभिलेखों का प्रशासन तथा व्यवस्था पर सम्यक नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करने का दायित्व बिहार राज्य अभिलेखागार को सौंपा गया है।

सचिवालय विभागों के अर्द्धचालू अभिलेख के अलावा विभिन्न प्रमण्डलों, समाहरणालयों एवं अनुमंडलों के तीस वर्षों से अधिक पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक महत्व के अभिलेखों के सर्वेक्षण, प्राप्ति, मूल्यांकन, परिरक्षण तथा उपयोग की व्यवस्था का दायित्व इस निदेशालय का है। इसके अलावा, निजी क्षेत्रों के अभिलेखों का प्रबंधन एवं उनके संरक्षण का भी कार्य इसके अधीन होता रहा है। साथ ही प्रशासकीय संदर्भ कार्य तथा शोध कार्यकर्ताओं को शोध एवं अन्वेषण कार्य में मार्गदर्शन करना तथा सुविधा देना भी इसके कार्यकलाप का अंग है।

बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय अभिलेखागार, महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह क्षेत्रीय अभिलेखागार, दरभंगा, क्षेत्रीय अभिलेखागार, बेतिया एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार, भागलपुर कार्यरत हैं।

3.2 राजभाषा निदेशालय

आजादी के पूर्व या आजादी के बाद भी कुछ वर्षों तक जब बिहार में भी सरकारी काम-काज में अंग्रेजी के उपयोग की प्राथमिकता थी, उसी समय इस विभाग का गठन सर्वप्रथम तत्कालीन नियुक्ति विभाग के अंग के रूप में किया गया। बाद में इसे मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन रखा गया। 1977 में इसे स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया गया। वर्ष 2007 से यह पुनः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन कार्यरत है।

स्वतंत्र विभाग के गठन के पश्चात् इस विभाग के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। प्रमंडलों में इसकी इकाईयाँ स्थापित की गयी। इसका दायरा मात्र अनुवादन करने तक सीमित नहीं रह गया। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं समुचित विकास के लिए अनेक पुरस्कार योजनाएँ, शब्दकोशों का निर्माण एवं प्रकाशन तथा बिहार सरकार में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिन्दी में काम-काज करने की योग्यता का मूल्यांकन एवं निरीक्षण कार्य भी इससे जुड़ गया।

3.3 उर्दू निदेशालय

बिहार सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 1995 में उर्दू निदेशालय का गठन किया गया। उर्दू भाषी जनता के भाषायी हितों के मद्देनजर जिला/अनुमंडल/प्रखंड स्तर के कार्यालयों में उर्दू कोषांग की स्थापना की गई है।

उर्दू निदेशालय का कार्य सरकारी नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं/आदेशों/परिपत्रों एवं राजभाषा प्रतिवेदन का उर्दू में प्रकाशन के साथ ही राजकीय साहित्य, गजेटियर तथा कानूनी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करना है।

3.4 सिविल विमानन निदेशालय

सिविल विमानन निदेशालय का गठन वर्ष 1989 में किया गया। सिविल विमानन निदेशालय में निम्न दो अनुभाग हैं :-

- (क) राजकीय वायुयान संगठन – इस संगठन द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन तथा महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए राजकीय हेलिकॉप्टर तथा वायुयान का संधारण एवं संचालन किया जाता है।
- (ख) बिहार उड्डयन संस्थान – इसके तहत प्राइवेट पायलट लाईसेंस तथा कमर्शियल पायलट लाईसेंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

3.5 बिहार सचिवालय ग्रंथागार

बिहार सचिवालय ग्रंथागार, पुराना सचिवालय के बैरक संख्या-16 में अवस्थित है। पुस्तकालय, सचिवालय कार्य-अवधि में खुला रहता है। ग्रंथागार की सेवाएँ सचिवालय और सचिवालय से सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए है। प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी तथा मुफस्सिल के अन्य पदाधिकारी भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

3.6 बिहार राज्य नागरिक परिषद

मानव जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग करने तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता एवं सद्भाव कायम रखने के उद्देश्य से राज्य स्तर, जिला स्तर, थाना स्तर पर नागरिक परिषद गठित है।

3.7 जन शिकायत कोषांग

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव के सूचना सह जन शिकायत कोषांग का गठन अप्रैल 2006 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अर्न्तगत किया गया है। इसी प्रकार सभी विभाग तथा प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड एवं थाना स्तर तक जन शिकायत कोषांग का गठन किया गया है।

विकास की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होने के क्रम में नवीन सूचना प्रावैधिकी को उपयोग में लाते हुये राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक के सभी जन शिकायत कोषांगों को जोड़ने की योजना है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सभी जन शिकायत मामले एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध हों तथा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति स्वयं कहीं से भी देख सकें।

मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग का एक अपना वेबसाईट भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

अध्याय – 4

वर्ष 2012-13 की उपलब्धियाँ

4.1 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- मंत्रिपरिषद की कुल बैठकों की संख्या (04 मार्च, 2013 तक) – 43
- मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की संख्या – 817
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 385 विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों को राज्य अतिथि घोषित किया गया है तथा उनके स्वागत, आवासन, परिवहन एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था सम्पन्न करायी गयी है। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में श्री प्रणव मुखर्जी, महामहिम राष्ट्रपति, भारत/मो० हामिद अंसारी, महामहिम उप राष्ट्रपति, भारत/श्री राज शेखर पुरियाग, महामहिम राष्ट्रपति, मॉरिशस तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमति अनिता पुरियाग/परम पावन दलाई लामा/सूरीनाम गणराज्य के शिष्टमंडल दल/भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम/म्यांमार के 69 संसदीय शिष्टमंडल/पाकिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल एवं इजराईल के महामहिम राजदूत के बिहार परिदर्शन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया है।
- सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन तथा अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकार के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन एवं बिहार न्यायिक अकादमी द्वारा आहूत न्यायाधीशों के पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर बड़ी संख्या में राज्य अतिथियों के बिहार भ्रमण के अवसर पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 72 (बहत्तर) महानुभावों की जयंतियों/पुण्यतिथियों के अवसर पर राजकीय समारोहों का आयोजन किया गया।

4.2 बिहार राज्य अभिलेखागार

- शोध शाखा
 - (क) संदर्भ सूची तैयार कराये गये संचिकाओं की संख्या – 10357
 - (ख) शोध कार्य हेतु आये कुल शोध अध्येताओं की संख्या – 287
 - (ग) शोध अध्येताओं को शोध कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये – 1800
 - कुल अभिलेखों की संख्या
 - (घ) विभाग को उपलब्ध कराये गये मंत्रिपरिषद कार्यवाही पुस्तिका – 80
 - (ङ) कुल डिजीटाइज्ड फोलियों की संख्या – 10100

- अभिलेख प्रबंधन
 - (क) वित्त विभाग से प्राप्त अभिलेखों की संख्या (बजट पुस्तिका एवं अनुपूरक आगणन) – 05 वॉल्यूम
 - (ख) एल.एस.जी. विभाग (मेडिकल) 1874–1947, नियुक्ति विभाग– 1866–1921 एवं गया जिला अभिलेख 1842–1905, कलकत्ता गजट– 1921–1956 के अभिलेखों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

- परिरक्षण शाखा
 - (क) डिजिटिजेशन – 29150 फोलियो
 - (ख) पेजीनेशन – 29150 फोलियो
 - (ग) डिएसीफिकेशन – 29150 फोलियो
 - (घ) लेमिनेशन – 29150 फोलियो
 - (ङ) प्रेसिंग – 29150 फोलियो
 - (च) स्टीचिंग – 29381 संचिका
 - (छ) रिपेयरिंग – 875 पृष्ठ
 - (ज) बाईन्डिंग – 593 वॉल्यूम
 - (झ) फ्यूमिगेशन – 1375 संचिका
 - (ञ) गार्डफाईल – 08 अदद

- प्रकाशन
 - (क) अभिलेखों में डा० अनुग्रह नारायण सिंह नामक पुस्तिका का प्रकाशन।
 - (ख) अभिलेख बिहार वार्षिक पत्रिका – 2011 का प्रकाशन।
 - (ग) अभिलेखों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तिका का प्रकाशन।
 - (घ) अभिलेखों में डा० श्रीकृष्ण सिंह नामक पुस्तिका का प्रकाशन।
 - (ङ) अभिलेखों में समाजवादी आंदोलन नामक पुस्तिका का प्रकाशन।
 - (च) अभिलेखों में किसान आंदोलन नामक पुस्तिका का प्रकाशन।

- अभिलेख प्रदर्शनी/संगोष्ठी का आयोजन
 - (क) दिनांक-21 मई, 2012 को बिहार स्थापना शताब्दी वर्ष 2012 के अवसर पर प्रकाशित होनेवाले पुस्तकों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन का आयोजन।
 - (ख) डा० अनुग्रह नारायण सिंह क 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होनेवाली अभिलेखों एवं संगोष्ठी के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिनांक-22 एवं 23 अगस्त, 2012 को बिहार के निर्माण में डा० अनुग्रह नारायण सिंह की भूमिका विषय पर संगोष्ठी एवं अभिलेखों तथा चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन।
 - (ग) दिनांक-25 एवं 26 सितम्बर, 2012 को बिहार मे सर्वोदय आंदोलन एवं जयप्रकाश नारायण विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन एवं अभिलेखों तथा चित्रों की प्रदर्शनी।
 - (घ) बिहार केसरी डा० श्रीकृष्ण सिंह की 125वीं जयंती के अवसर पर दिनांक-01 एवं 03 नवम्बर, 2012 को उनसे संबंधित अभिलेखों एवं चित्रों की प्रदर्शनी।
 - (ङ.) 06 एवं 07 दिसम्बर, 2012 बिहार में समाजवादी आंदोलन विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन एवं उससे संबंधित अभिलेखों तथा चित्रों की प्रदर्शनी।
 - (च) 31 जनवरी एवं फरवरी, 2013 को बिहार में किसान आंदोलन और राष्ट्रीय स्वाधिनता आंदोलन पर उसका प्रभाव विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन एवं उससे संबंधित अभिलेखों तथा चित्रों की प्रदर्शनी।
 - (छ) 22.12.2011 को "प्रजातंत्र के प्रहरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह" विषय पर अभिलेख भवन, पटना में एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन।
 - (ज) बिहार स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाली अभिलेख प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी के क्रम में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2012 को भागलपुर में "आधुनिक बिहार के सृजन एवं राष्ट्र निर्माण में बिहार की भूमिका" विषय पर संगोष्ठी एवं अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन।
 - (झ) बिहार स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाली अभिलेख प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी के क्रम में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2012 को बेतिया में "आधुनिक बिहार के सृजन एवं राष्ट्र निर्माण में बिहार की भूमिका" विषय पर संगोष्ठी एवं अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन।

4.3 राजभाषा निदेशालय

- सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए वर्ष 2011–12 के लिए चयनित 11 (ग्यारह) सरकारी सेवकों तथा वर्ष 2012–13 के लिए चयनित 11 (ग्यारह) सरकारी सेवकों को हिन्दी दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया है।
- हिन्दी के 14 साहित्यकारों/विद्वानों की जन्मतिथि/पुण्यतिथि का आयोजन।
- हिन्दी को राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु विभागीय त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा का नियमित रूप से प्रकाशन।

4.4 उर्दू निदेशालय

- मुख्यालय स्तर पर आयोजित उर्दू प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 31 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उर्दू के चार दिवंगत साहित्यकारों की जन्मतिथि/पुण्यतिथि का आयोजन।
- विभागीय त्रैमासिक पत्रिका भाषा संगम का नियमित रूप से प्रकाशन।

अध्याय – 5

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग संबंधी वित्तीय मांग

5.1 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में मांग संख्या-4 के अन्तर्गत 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान निम्न है –

	राजस्व	पूंजी	जोड़ (लाख रुपये)
भारित / Charged	0.00	0.00	0.00
स्वीकृत / Voted	14565.73	907.00	15472.73

5.2 मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए अनुदान का विवरण :-

(लाख रुपये में)

मद मुख्य शीर्ष	भारित / स्वीकृत	बजट 2012-13			पुनरीक्षित अनुमान 2012-13			बजट 2013-14		
		आयोजना	आयोजना भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
राजस्व										
मंत्रिपरिषद 2013	भारित स्वीकृत	0.00 0.00	0.00 1737.58	0.00 1737.58	0.00 0.00	0.00 1757.58	0.00 1757.58	0.00 0.00	0.00 1883.18	0.00 1883.18
सचिवालय समान्य सेवाएं 2052	भारित स्वीकृत	0.00 171.00	0.00 1492.38	0.00 1663.38	0.00 171.00	0.00 1507.58	0.00 1678.58	0.00 215.00	0.00 1553.03	0.00 1768.03
जिला प्रशासन 2053	भारित स्वीकृत	0.00 155.00	0.00 3790.78	0.00 3945.78	0.00 155.00	0.00 3790.78	0.00 3945.78	0.00 160.00	0.00 4315.21	0.00 4475.21
अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070	भारित स्वीकृत	0.00 300.00	12.00 3320.28	12.00 3620.28	0.00 300.00	12.00 3328.78	12.00 3628.78	0.00 2481.08	0.00 3001.09	0.00 5482.17
कला एवं संस्कृति 2205	भारित स्वीकृत	0.00 135.00	0.00 204.09	0.00 339.09	0.00 135.00	0.00 233.24	0.00 368.24	0.00 175.00	0.00 232.54	0.00 407.54
नागर विमानन 3053	भारित स्वीकृत	0.00 0.00	0.00 301.81	0.00 301.81	0.00 0.00	0.00 301.81	0.00 301.81	0.00 0.00	0.00 549.60	0.00 549.60
जोड़ राजस्व	भारित स्वीकृत	0.00 761.00	0.00 10846.92	0.00 11607.92	0.00 761.00	0.00 10919.77	0.00 11680.77	0.00 3031.08	0.00 11534.65	0.00 14565.73
पूंजी										
नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 5053	भारित स्वीकृत	0.00 870.50	0.00 0.00	0.00 870.50	0.00 3086.17	0.00 0.00	0.00 3086.17	0.00 907.00	0.00 0.00	0.00 907.00
जोड़ पूंजी	भारित स्वीकृत	0.00 870.50	0.00 0.00	0.00 870.50	0.00 3086.17	0.00 0.00	0.00 3086.17	0.00 907.00	0.00 0.00	0.00 907.00
कुल जोड़	भारित स्वीकृत	0.00 1631.50	0.00 10846.92	0.00 12478.42	0.00 3847.17	0.00 10919.77	0.00 14766.94	0.00 3938.08	0.00 11534.65	0.00 15472.73

अध्याय – 6

राज्यपाल सचिवालय संबंधी वित्तीय माँग

6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद-202 (3) (क) के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय की मांग राज्य की संचित निधि पर भारित है। यह माँग संख्या-05 के अन्तर्गत प्रदर्शित है। चूँकि यह राशि भारित है, इसलिए इसमें विधान मंडल की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं है। परन्तु विधान मंडल के समक्ष इसे सूचना हेतु रखा जाता है।

6.2 राज्यपाल सचिवालय के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान निम्न प्रकार है –

(लाख रू0 में)

	राजस्व	पूँजी	जोड़
भारित	787.35	0.00	787.35
स्वीकृत	0.00	0.00	0.00

6.3 राजस्व के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय के लिए अनुदान का विवरण –

मुख्य शीर्ष		बजट 2012-2013			पुनरीक्षित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना भिन्न	जोड़
2012 राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	भारित	0.00	751.10	751.10	0.00	756.10	756.10	0.00	787.35	787.35
	स्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारित	0.00	751.10	751.10	0.00	756.10	756.10	0.00	787.35	787.35
	स्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़	भारित	0.00	751.10	751.10	0.00	756.10	756.10	0.00	787.35	787.35
	स्वीकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-1

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(क) मंत्रिमंडल सचिवालय

1. मंत्रिपरिषद् की बैठक विषयक कार्य।
2. सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभागों से संबंधित पत्रों से भिन्न मुख्य सचिव को संबोधित पत्रों का अनुश्रवण एवं आनुसंगिक कार्रवाई।
3. सरकारी विभागों के मासिक कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदनों का समन्वय।
4. विकास आयुक्त द्वारा निबटाये जाने वाले विषयों से भिन्न सचिवालय स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय।
5. कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव के कृत्य और कर्तव्य संबंधी कार्य तथा मुख्य सचिव की स्थापना।
6. कार्यपालिका नियमावली का गठन, संशोधन तथा व्याख्या।
7. राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संदर्भ।
8. राज्यपाल सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
9. मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन।
10. मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अवर आप्त सचिवों की नियुक्ति।
11. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों की परिलब्धियाँ।
12. मुख्यमंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।
13. राज्य कर्मियों के सेवा संघों की मान्यता।
14. भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों के मंत्रियों, उच्च पदाधिकारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के आतिथ्य संबंधी कार्य।
15. आतिथ्य सत्कार तथा उससे संबंधित स्टाफ-कारों की व्यवस्था एवं उनका संधारण।
16. राजचिह्न, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्र ध्वज।
17. राज्य समारोहों का आयोजन।
18. गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस समारोहों का आयोजन।
19. राज्य अन्त्येष्टि।
20. राज्य अतिथिशाला (पटना परिसदन में अति महत्वपूर्ण आगन्तुक कक्ष के साथ)।
21. बिहार भवन एवं बिहार निवास।
22. सचिवालय ग्रंथागार।
23. राज्य अभिलेखागार।
24. बिहार राज्य नागरिक परिषद।

(ख) सिविल विमानन

25. सरकारी वायुयान, हेलिकॉप्टर इत्यादि की खरीदारी, संधारण तथा उनकी उड़ान से सम्बन्धित सभी कार्य।
26. राज्य क्षेत्र में विकसित होने वाले वायु परिवहन का विकास, विनियमन और संगठन।
27. बिहार उड्डयन संस्थान।
28. वैमानिक प्रशिक्षण तथा उसका विनियमन।

(ग) राजभाषा

29. राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण, कार्यान्वयन एवं समन्वय संबंधी कार्य।
30. गजेटियर तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद।
31. हिन्दी में सरकारी काम-काज प्रोत्साहित करने के लिये शब्दावली तथा मार्ग दर्शक साहित्य की संरचना, संकलन एवं प्रकाशन।
32. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी की स्थिति का निर्धारण।
33. सरकारी सेवाओं के लिये हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।
34. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।
35. बिहार राज्य हिन्दी प्रगति समिति तथा अन्य परामर्शदातृ समितियाँ।

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन

36. 20 सूत्री कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन संबंधी समन्वय और मॉनिटरिंग।
37. सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों का समन्वय तथा अनुश्रवण।
38. जन शिकायत कोषांग।

Back Cover

सम्पर्क :-

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
मुख्य सचिवालय,
पटना – 800015
फोन नं० – 0612 – 2215246
फैक्स नं० – 0612 – 2217698
वेबसाइट – www.csd.bih.nic.in
ई – मेल – secy_cabsec@bihar.gov.in